महत्वपूर्ण / तत्काल कार्यवाही हेतु

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 8475 / 22 / वि–7 / एन.आर.ई.जी. / 2007 भोपाल, दि.31 / 05 / 2007

प्रति,

1. **जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
एवं कलेक्टर
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश

2. **अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी**
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश

3. **कार्यक्रम अधिकारी (जनपद पंचायत)**
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश

जिला – श्योपुर, छतरपुर, मंडला, शहडोल, बालाघाट, शिवपुरी, बैतूल, खरगोन, सिवनी, डिण्डोरी, टीकमगढ़, खण्डवा, धार, झाबुआ, बड़वानी, सतना, सीधी, उमरिया, गुना अशोकनगर, अनूपपुर, बुरहानपुर, हरदा, छिन्दवाड़ा, देवास, दतिया, रीवा, पन्ना, दमोह, राजगढ़ एवं कटनी (म.प्र.)

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश के तहत ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना के अंतर्गत फलोद्यान विकास के लिए वृक्षारोपण हेतु पौध की व्यवस्था के संबंध में।

संदर्भः पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का आदेश क्र.6673 / 22 / वि–7 / एन.आर.ई.जी. / 2007 दिनांक 20.4.2007

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश के तहत ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना की आयोजना व क्रियान्वयन के संबंध में उक्त संदर्भित आदेश द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। कृपया इनका अवलोकन करें।

उक्त आदेश की कंडिका 5.3 में ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना के अंतर्गत फलोद्यान विकास के लिए वृक्षारोपण हेतु पौध की व्यवस्था के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। **फलोद्यान के सफल विकास के लिए श्रेष्ठ एवं उत्तम गुणवत्ता की पौध का वृक्षारोपण किया जाना है।**

उक्त के अनुक्रम में राज्य स्तर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य उद्यानिकी मिशन के साथ श्रेष्ठ एवं उत्तम गुणवत्ता की पौध उपलब्ध कराने हेतु समन्वय किया गया है। उद्यानिकी मिशन ने स्वयं तथा एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन के माध्यम से निजी क्षेत्रों की ऐसी रजिस्टर्ड नर्सरियों का अनुमोदन व चयन किया है, जिनके पास

आम, आंवला, संतरा, नींबू इत्यादि के श्रेष्ठ एवं उत्तम गुणवत्ता के पौधे उपलब्ध हैं। इन चयनित नर्सरियों से जिलेवार एवं विकासखण्डवार विभिन्न प्रजाति की उपलब्ध कराई जा सकने वाली पौध का विवरण अनुलग्नक – 1 पर संलग्न है।

''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना के अंतर्गत फलोद्यान विकास के लिए वृक्षारोपण हेतु उपरोक्तानुसार अनुमोदित नर्सरियों के पास उपलब्ध श्रेष्ठ एवं उत्तम गुणवत्ता की पौध एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन के माध्यम से उपलब्ध कराये जा सकेंगे। इस हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करना होगी :–

1. जनपद पंचायत अपने अधीन ग्राम पंचायतों से ''नंदन फलोद्यान'' के विकास हेतु पौधों की प्रजाति व संख्या की मांग पत्र प्राप्त कर इसका संकलन करेंगे। इस संकलन के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन को क्रय आदेश दिया जायेगा।
2. क्रय आदेश में की गई मांग के अनुरूप एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन उपरोक्तानुसार चयनित नर्सरियों से पौधों को विकासखण्ड पर स्थित उद्यानिकी विभाग की विभागीय नर्सरी को प्रदाय करेगा। उद्यानिकी विभाग की विकासखण्ड पर स्थित नर्सरी में पौधे प्रदाय कर दिये जाने की सूचना एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को दी जायेगी।
3. संबंधित जनपद पचांयत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उद्यानिकी विभाग की विकास खण्ड स्तर पर स्थित विभागीय नर्सरी पर उपरोक्त क्रय आदेश अनुसार पौध उपलब्ध होने पर इसकी सूचना अपने अधीन ग्राम पंचायतों को देंगे। तदोपरांत ग्राम पंचायतें उद्यानिकी विभाग की विकासखण्ड पर स्थित नर्सरी से अपनी मांग के अनुरूप पौधे उठा सकेंगी। पौधे प्राप्त करते समय ग्राम पंचायतें यह सुनिश्चित करेंगी कि वे केवल श्रेष्ठ एवं उत्तम गुणवत्ता के पौधों का ही उठाव करें।
4. उद्यानिकी विभाग की विकासखण्ड पर स्थित विभागीय नर्सरी पर पौधों की उपलब्धता के पश्चात 7 दिवस के भीतर ग्राम पंचायत द्वारा पौधे उठाना आवश्यक होगा। इस अवधि में पौधों का रख – रखाव उद्यानिकी विभाग द्वारा किया जायेगा। तदोपरांत आवश्यकता पड़ने पर उद्यानिकी विभाग द्वारा रख रखाव हेतु राशि जनपद एवं जिला पंचायत से प्राप्त करने हेतु निवेदन किया जा सकेगा।
5. उद्यानिकी विभाग की विभागीय नर्सरियों से पौधे उठाने के पश्चात ग्राम पंचायतों द्वारा उठाये गये पौधों की देय राशि (उद्यानिकी विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप) का

भुगतान एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन को किया जायेगा। भुगतान के पूर्व क्रय किये गये पौधों का भौतिक सत्यापन सहायक विकास विस्तार अधिकारी अथवा ग्राम सहायक द्वारा किया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार किये गये समन्वय के अनुक्रम में ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना के अंतर्गत श्रेष्ठ एवं उत्तम गुणवत्ता की पौध हितग्राहियों को उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें।

''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना के अतिरिक्त आपके जिले में ''हरियाली महोत्सव–2007'' एवं अन्य वृक्षारोपण कार्यों हेतु भी उपरोक्तानुसार समन्वय की गई नर्सरियों व प्रक्रिया अनुसार पौधे क्रय किये जा सकते हैं।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

हस्ता/–
(प्रदीप भार्गव)
अपर मुख्य सचिव
एवं विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
म.प्र.भोपाल

पृ.क्र. 8476/22/वि–7/एन.आर.ई.जी./2007 भोपाल, दि.31/05/2007

प्रतिलिपि :–

1. मिशन संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्यानिकी मिशन, पंचानन भवन, न्यू मार्केट, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

हस्ता/–
(प्रदीप भार्गव)
अपर मुख्य सचिव
एवं विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
म.प्र.भोपाल